## 7.1.16

The institution is permanently affiliated to Barkatulla University Bhopal and functioning as per the professional code imposed by regulatory authority University Grants Commission and the department of Higher Education Madhya Pradesh Bhopal.

अच्याय म. प्र. आचरण नियम, 1965 (1) आचरण नियम के प्रमुख प्रावधान- म. प्र. शासकीय सेवक आचरण नियम कर्मचारियों की संहिता है, जो शासकीय कर्तव्य पालन में मार्ग दर्शक है। शासकीय कर्मचारी का आचरण ऐसा होना चाहिए जिसमें ईमानदारी, कर्त्तव्य के प्रति निष्ठा, समान व्यवहार आदि का मिश्रण हो। केवल आचरण ही शुद्ध नहीं हो बल्कि शुद्ध दिखना भी चाहिए, उसी के मार्गदर्शन हेतु आचरण नियम हैं। <sup>1</sup>(क) (अ) अपने पदीय कृत्यों के पालन में अशिष्टता म.प्र. आचरण नियम 1965 के नहीं करेगा। नियम 19 अनुसार जंगम/ (ब) जनता के साथ पंदीय संव्ययहार में या स्थावर सम्पत्ति के लेन-देन की अन्यथा विलम्बकारी नीति नहीं अपनावेगा, पूर्व मंजूरी प्राप्त की जावेगी । न कार्य निपटाने में जानबुझकर विलम्ब यदि ऐसा लेन-देन ऐसे व्यक्ति के करेगा। साथ हो, जिसका शासकीय (स) ऐसा कुछ नहीं करेगा जो अनुशासन हीनता सेवक से पदीय संव्यवहार हो. का चोतक हो। -नियम 19(3) ठसको आंबटित शासकीय आवास को भाउ (3) पर नहीं देगा, पड़े पर नहीं देगा, या किसी व्यक्ति को लाभ के लिये अधिभोग नहीं करने देगा। (ख) (अ) जिवाह की आयु, पर्यावरण के परिरक्षण, वन्य जीव संरक्षण, सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के सम्बन्ध में शासन की नीती का पालन करेगा। (ब) महिलाओं के विरुद्ध अपराध के निवारण में शासन की नीतियों का पालन करेगा । (2) शासकीय सेवक से अपेक्षा की जाती है कि वह बिना अवकाश स्वीकृति के अवकाश पर नहीं जावेगा लेकिन कमी-कमी अवकाश, सक्षम अधिकारी के पास स्वीकृति हेत् भेजा जाता है, अवकाश पर जाने की तिथि तक सक्षम स्वीकृति प्राप्त न हो तो अपने वरिष्ठ अधिकारी को स्थिति बता कर निर्देशानुसार कार्य करना चाहिए। नियम-7 (3) शासकीय सेवक को ऐसी संस्था में सम्मिलित नहीं होना चाहिए जिसका उद्देश्य, तथा कार्य कलाप भारत की सम्ब्रभुता तथा अखण्डता, सार्वजनिक अव्यवस्था या नैतिकता के हितों पर प्रतिकुल प्रधाव डालते हों। नियम-8 📂 (4) ं शासकीय सेवक केन्द्रीय सरकार राज्य सरकार की नीति या कार्य की आलोचना रेडियो प्रसारण समाचार प्रकाशन आदि के माध्यम से नहीं करेगा। निषम-9-10 (5) शासकीय सेवक सधाम स्वीकृति के बिना कोई चन्दा वसूल नहीं करेगा। नियम-13 (6) शासकीय सेवक न दहेज लोगा न देगा। नियम-14 (क) (7) शासकीय सेवक की परनी चौंकित रहते बिना सक्षम स्वीकृति के दूसरी शादी नहीं करेगा। 1, म.प्र.शा. सा.प्र.वि. क्र. 5-1-96-3-एक दि. 26.5.2000 से जोड़े। [499]

) म. प्र. आचरण नियम, 1965 ALL IN O	DNE
तथा ऐसा व्यक्ति जिसने पत्नी के जीवित रखते दूसरा विवाह किया है तो नियुक्ति के अयोग्य है। नियम-2	1000
(8) शासकीय सेवक कत्तेव्य पर रहते समय मादक पेयों या औषधियों का शेव नहीं करेगा।	
(9) 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कार्य पर नहीं लगावेगा।	THE
(2) शासकीय सेवक द्वारा जंगम/स्थावर सम्पत्ति की सूचना देना- (1) शासकीय सेवक सेवा में प्रथम नियुक्ति के समय एवं तत्पश्चात् ऐसे अन्तर पर जैसा शासन निर्देशित करे, विहित प्रारूप पर उसके स्वागित्व की उत्तराषित में प्राप्त अथवा अजिंत स्थावर/जंगम सम्पत्ति का विवरण प्रस्तुत करेगा। (2) शासकीय सेवक कोई भी सम्पत्ति अर्जित करने की पूर्व जानकारी कार्यालय प्रमुख नियंत्रण अधिकारी को देगा। यदि ऐसा संव्यवहार ऐसे व्यक्ति के साथ है पदीय संव्यवहार रखता हो, या किसी नियमित या ख्याति प्राप्त व्यापारी माफंत न हो तो पूर्व मन्जूरी लेना आवश्यक है।	वकार ।। मुख/ हे जो
<ul> <li>(3) सम्यत्ति के लेन देन की सूचना- (1) मकान बनाने या उसका विस्तार क सूचना नियम 19(1) के अन्तर्गत निर्धारित फार्म में दी जाना चाहिए।</li> <li>(2) ऐसी जंगम (चल) सम्यत्ति जो उसके स्वामित्व की हो, या उसके स्वयं के बार के नाम से धारित हो, के लेन देन की रिपोर्ट सक्षम अधिकारी को करना चा उसका मूल्यः</li> <li>(1) प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी के लिये ह. 10,000/- या अधिक हो (2) तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के लिये ह. 5,000/- या अधिक हो जंगम सम्यत्ति में सम्मिलित है-</li> <li>(क) ज्वेलरी, बीमा पलिसियां, अंश, प्रतिभूति, ऋण पत्र, आदि</li> <li>(ख) शासकीय सेवकों द्वारा लिये गये ऋण चाहे प्रतिभूति हो या न हो।</li> <li>(ग) मोटर कार, मोटर सायकल, चोड़े, सवारी के अन्य सायन।</li> <li>(घ) रेफ्रिजरेटर, रेडियो, टेलीविजन, व्ही. सी. आर. टेलीविजन सेट तथा अन्य कि तथा इलेक्ट्रिक उपकरण आदि।</li> </ul>	ह या तहिये
सामान्य प्रशासन विभाग	
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल, दिनांक 28 जनवरी 2013	
त्रहा. 3-14-2012-एक-3. भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्र क्यों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्वारा मध्यप्रदेश सिविल से ाचरण) नियम, 1965 में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात् :- संशोधन	
उक्त नियमों में, नियम 19 में, विद्यमान वपनियम (2-क) (3) के स्थान पर, निम्नलिगि	खित
नेयम स्थापित किया जाए, अर्थात् :-	

1	- 14	D
TLOSE.	- 22	अनेक
100		-011-11-023
100000	2.4	1000-000

"(3) प्रत्येक शासकीय सेवक जंगम संपत्ति के संबंध में उसके द्वारा या तो उसके स्वयं के नाम से या उसके कुट्रम्ब के किसी संपत्ति का मूल्य, प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तूतीय श्रेणी या चतुर्थ झेणी का कोई पद धारण करने वाले शासकीय सेवक के दो माह के मूल वेतन से अधिक BOTH STATE DIVISION हो :

परन्तु शासकीय सेवक द्वारा विहित प्राधिकारी की पूर्व मंजूरी अभिप्राप्त की जाएगी, यदि कोई ऐसा लेन-देन ऐसे व्यक्ति के साथ हो, जिसका शासकीय सेवक के साथ पदीय संव्यवहार है।''

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर. के. गजभिये, उपसचिव,

## (4) उपहार लेना-

(1) नियम 14 के प्रावधानों के अतिरिक्त कोई भी शासकीय सेवक कोई उपहार न तो स्वीकृत करेगा नाही अपने परिवार के सदस्यों को अनुझा देगा।

नोट- 'उपहार' में निःशुल्क परिवहन, मोजन, आवास या सेवा, शासकीय सेवक से कोई पदीय संव्यवहार न रखने वाले निकट संबंधी या मित्र द्वारा दिया व्यवहार 'उपहार' सम्मिलित नहीं है।

(2) विवाह, वर्ष गांठ, अत्येष्टि या अन्य धार्मिक, सामाजिक प्रथा के अनुसार, शासकीय सेवक अपने निकट संबंधी से निम्न सीमा तक उपहार स्वीकार कर सकता है लेकिन उसकी सूचना अपने वरिष्ठ अधिकारी को देगा यथाः-

<ol> <li>३. 1500/- या अधिक</li> </ol>
<ol> <li>र. 700/- या अधिक</li> </ol>
रु. 250/- या अधिक
ही स्वीकार की जायेगी।
र पर
500 तक
200 तक
100 तक
200/-
50/-
[नियम 14(2) च (3)]

(5) अन्य सावधानियाँ-

(1) शासकीय सेवक उद्घाटन, अनावरण, शिलान्यास आदि कार्य नहीं करेगा।

म. प्र. शासन क्र. 19/246/85/1/4/दि. 2/5/861

(2) शासकीय सेवक राजनैतिक संगठन जैसे आल इण्डिया स्टूडेन्ट्स फेडरेशन, रा. स्व.

502	म. प्र. आचरण नियम, 1965	ALL IN ONE	एक में अनेक	H H 1999	
म. (3) जम अधिकृत किय (4) रेड (6) अ (1) दि (2) श (3) श (3) श (4) श (5) स (6) श (6) श (7) व व (7) व व (8) ड	<ul> <li>माते इस्लामी, आनन्द मार्ग आदि के कार्य कलाग् प्र. शासन (सा. प्र. वि.) क्र. 5/3/74/3/1/दि 52/1/3/81, 173/165/1/(3 हित के कार्यों के लिये कलेक्टर को रू. 10,000/- ा गया है यथा :</li> <li>1) स्थानीय विपदा (2) कृषि प्रदर्शनी (3) क्रास सोसायटी/विकलांग सहायता (5) औषधालय प्रिया नियम के अन्तर्गत बर्जित कार्य :</li> <li>कसी विश्वविद्यालयीन डिग्री के लिये किसी शैक्षणिग सकीय संरक्षण प्राप्त प्रायवेट उपक्रमों में उसके नि ते नौकरी में रखना।</li> <li>परोक्त (1) तथा (2) हेतु शासन की पूर्व अनुमरि सकीय संरक्षण प्राप्त प्रायवेट उपक्रमों में उसके नि ते नौकरी में रखना।</li> <li>परोक्त (1) तथा (2) हेतु शासन की पूर्व अनुमरि सकीय सेवक राजनीतिक दल का सदस्य न होगा ग नहीं लेगा।</li> <li>सकीय सेवक इड्ताल, प्रदर्शन में भाग नहीं लेगा व्यम-6</li> <li>सकीय सेवक किसी समिति द्वारा जाँच में बिना पूर्व सकीय सेवक किसी अन्य शासकीय सेवक या अ सकीय कार्य/अभिलेख की जानकारी देने के लिये हीं देगा।</li> <li>तेई भी शासकीय सेवक किसी स्टाक अंश या विनिध व्याज पर रकम ठघार देगा।</li> <li>त्यने कि बिना व्याज रुपया उघार देना, या व्याप अना। या (किसी नौकर को अग्रिम देना इसमें समिं 7</li> </ul>	. 3-9-74 (2) 171/ ) 81 दि. 16-4-81। तक चन्दा लेने के लिए पशु प्रदर्शनी 4 (6) खेलकूद आदि। क संस्था में घरती होना नेकट संबंधी या आश्रित नियम-4 ते आवश्यक है। 1 तथा राजनीति में नियम-5 1 अनुमति माग नहीं लेगा। नियम (11) शन्य व्यक्ति को जिसको अनुमत न हो, जानकारी ान में सट्टा नहीं लगावेगा	अस्यायों से (घ) अपने कुटुम बीमा कंपन (ड) अपने पदीय संप्रवर्तन य 2 (क) कोई भी श या खैराती (ख) किसी साहि कलाषों में (य) खेलकूद के (घ) साहित्यिक, में भाग नई (ड) सहकारी सोन करने पर क (3) यदि शासकीय है तो उसकी सूचना शा (4) शासकीय सेव नियम (22) में मां शासकीय सेवक के 26-1 नियम 23 के अनुसार 1 (5) आचरण नियम को जॉब करने की मठित नियुक्त किया जावे तो वह	सायटी के प्रबन्धन में भाग ले सकेगा परन्तु यदि शा गर्थ ज़न्द कर देगा। सेवक के परिवार का कोई सदस्य किसी कारोबात सन को देगा। क शासन के आदेश बिना कोई फीस प्राप्त ना हेला शासकीय कर्मचारी को यौन उत्पीड़न में सम्मि 1-2000 के पश्चात् दो से अधिक बच्चे होना अवच 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को काम पर न न 22 के उपनियम (3) के अन्तर्गत यौन उत्पीड समिति को या यदि अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा म. प्र. सिविल सविंस (वर्गीकरण, नियंत्रण अपील तर्गत जाँच अधिकारी समझा जावेगा तथा समिति	तहीं, करेगा। बहकारी संस्था से किसी सामाजिक उ होने वाले क्रिया नहीं लेगा। संगठन के कार्यों सन डारा निर्देशित सन डारा निर्देशित (/क्यापार में लगा हीं करेगा। हीं करेगा। हीं लगावेगा। हीं लगावेगा। हीं लगावेगा। ही लगावेगा। ही लगावेगा। ही लगावेगा।
(9) श प्र 2 नियम 1	गसकीय सेवक अपनी सेवा के मामले में अशासर्व भाव नहीं डलवायेगा। 1 6 के अनुसार अन्य उपबन्ध (1) कोई शासकी	नियम- वि सेवक उपनियम (2)	महोदय ः	न में विस्तार करने/की सूचना देने और विहित मन्जूरी प्राप्त करने का फार्म कि निम्न स्थान पर नया मकान बनाना/पुराने मब	
(ক) স (ন্ত্ৰ) ব	5 अध्याधीन रहते हुए शासन के पूर्व अनुमोदन के त्यक्ष या अग्रत्यक्ष रूप से कारबार या व्यापार नहं तेई अन्य सेवा नहीं करेगा। इसी निगमित या अनिगमित निकाय में कोई पद धा	ति करेगा।	करना चाहता हूं, जिसका	विवरण च अनुमानित लागत निम्नहै । कृपया स्वीव विवरण	गान का गवस्तार कृत्ति प्रदान करे।

502

504	ग. प्र. आचरण निय	4, 1965 ALL IN ONE
<ol> <li>(1) स्थिति</li> </ol>	मोहल्ला	नगर पालिका/सर्वे का क्रमांब
	जिला	
(2) ধীর্যসল	मूल्य	
निर्माण के स	गमान की मात्रा तथा मूल्य	(अनुमानित)
	या)	मूल्य
(2) पत्थर		मूल्य
(3) सीमेन्ट	बोरे	मूल्य
(4) 印創	ट्रक	- मूल्य
(5) 祐1	रूक	मूल्य
(6) लोहा	टन	मूल्य
(7) दरवाजे/सि	ब्रङ्कीनग	मूल्य
(8) फर्शटाइल	त्स	मूल्य
(9) सेनिटरी पि	फ्रेटिंग	मूल्य
(10) নিজলী দি	र्हेटेंग	मूल्य
(11) अन्य कार्य	र्ग येटिंग आदि	मूल्य
(12) उपरोक्त के	अतिरिक्त अन्य मद	
(13) मजदूरी		
	वन की कुल लागत	

भवन बनाने हेतु धन की व्यवस्था.....

हस्ताधार

(नाम)..... (पद)..... स्थान.....

कार्य पूर्ण होने पर सूचना देने और मूल्याकंन प्रतिवेदन फार्म पर प्रस्तुत किया जावेगा।

प्रारुप -

महोदय ः

मैंने आपको दिनांक......को भवन बनाना/पुराने मकान का विस्तार करने की सूचना दी थी जिस पर मुझे आदेश क्र.....दिनांक ......इारा मन्जूरी दी गई है। मकान का कार्य पूर्ण हो चुका है। मैं .....द्वारा प्रमाणित मूल्यांकन का आकंलन पत्र सलंग्र है। कर रहा हं।

एक में अनेक	म. प्र.	आचरण	f
And the second se			

नेयम, 1965

संलग्न/आकंलन पत्र

हस्ताक्षर पद.....

505

स्थान....

## (7) कुटुम्ब से आशय-

- (एक) शासकीय सेवक की पत्नी या उसका पति, चाहेवह शासकीय सेवक के साथ रहती/रहता हो अथवा नहीं, किन्तु उसमें वथास्थिति ऐसी पत्नी या ऐसा पति शामिल नहीं हैं, जिसका कि सक्षम न्यायालय की डिक्री या आदेश डारा शासकीय सेवक से अलगाव हो गया है।
- (दो) शासकीय सेवक का पुत्र या पुत्री या सौतेला पुत्र या सौतेली पुत्री जो ठस पर पूर्णतः आश्रित हो, किन्तु उसमें ऐसा बालक या सौतेला बालक, जो अब शासकीय सेवक पर किसी भी प्रकार से आश्रित नहीं है या जिसे अभिरक्षा में रखने से शासकीय सेवक को किसी भी विधि द्वारा या ठसके अधीन वंधित कर दिया गया है, शामिल नहीं है।
- (तीन) कोई भी अन्य व्यक्ति, जो शासकीय सेवक या शासकीय सेवक की पत्नी या उसके पति से चाहे रक्त हारा या विवाह हारा, संबंधित हो तथा शासकीय सेवक पर पूर्णतः आश्रित हो।

[नियम 3(ग) सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965]

(8) ज्ञासकीय सेवकों के अचल सम्पत्ति विवरण कम्प्यूटर वेवसाइट पर उपलब्ध कराना-

मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 सिविल सेवाओं और पदों पर नियक्त समस्त व्यक्तियों को लागू किये गये हैं। उपरोक्त नियमों के नियम 19(1) में अचल सम्पत्ति विवरण प्रस्तुत किये जाने के संबंध में निम्नानुसार प्रावधान है-

1. प्रत्येक शांसकीय सेवक किसी भी सेवा या पद पर उसके पहली बार नियुक्त होने पर तथा उसके पश्चात् ऐसे अंतरालों पर, जो शासन द्वारा उल्लेखित किये जायें, अपनी आस्तियों तथा दायित्वों की विवरणी निम्नलिखित के संबंध में पूर्ण विशिष्टियाँ देते हए ऐसे फार्म में जो कि शासन द्वारा विहित किये जायें, प्रस्तुत करेगा-

(क) उसके द्वारा दाय में प्राप्त की गई (inherited) या उसके स्वामित्त्व कीया उसके द्वारा अर्जित की गई या ठसके स्वयं के नाम से अधवा उसके कुट्रम्ब के किसी सदस्य के नाम से अथवा किसी अन्य व्यक्ति के नाम से पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित स्थावर (अचल) सम्पत्ति।

(उपरोक्त उपनियम (1) चतुर्थ श्रेणी के सेवकों के लिए लागू नहीं।)